

हर्षचन्द शर्मा बनाम भंवरलाल वगैरह

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोजेण्टस उपस्थित। दिनांक 10.07.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील विद्गो (खारिज) करने बाबत् पेश किया गया पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को विद्गो किये जाने से खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट अपील विद्गो (खारिज) किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।